[TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE-EXTRAORDINARY]

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS & WIDLIFE VI-LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT 1.P. ESTATE, NEW DELHI – 110002.

F.78/WFD/COT/13-14/127/-79

Dated: 26-05-14

NOTIFICATION

Whereas the Government of National Capital Territory of Delhi considers it necessary to do so in the public interest,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby exempts an area of total 1.73 ha (approx) as detailed below for construction of Low Cost Housing for Urban Poor/Slum Rehabilitation at Bawana-III (Pooth Khurd), Delhi by Delhi State Industrial and Infrastructure Development Corporation (DSIIDC), from the provision of Sub-Section (3) of Section 9 of the said Act

| SI. No. | Location | Extent of Area (ha.) | No. of trees required to be removed | Compensatory plantation required (No. of trees) |
|------------|--|----------------------------|-------------------------------------|---|
| 1 | Low Cost Housing for Urban Poor/Slum Rehabilitation at Bawana- III (Pooth Khurd), Delhi. | 1.73 ha (Approx) | 2233 | 22330 + 293 (Transplantation) |
| | | Total | 2233 | 22623 |

Louwer

The exemption is subject to fulfillment of the following conditions:

a) The applicant shall make an advance deposit of an amount of Rs. 7,19,02,600/- (Rupees Seven Crore Nineteen Lakh Two Thousand Six Hundred Only) for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of 5 (five) years as follows:

| Project No. | No. of Saplings to be Planted (No. of trees) | Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.) | To be Deposited with Forest Division | |
|-------------|---|---|--------------------------------------|--|
| I | 22623 | 7,19,02,600/- | DCF (West)/Tree Officer | |

- b) The compensatory plantation will be raised and maintained for 5 (five) years i.e. 13500 trees (plantation) + 293 (transplantation) no. of trees compensatory plantation will be done by the User Agency i.e. DSIIDC on the four sites i.e. Narela, Narela-Bawana Road, Ghogha and Pooth Khurd I & II, Kanjhawala Housing Area etc and balance 10000 no. of trees by the Forest Department on the site offered by DSIIDC near johad/pond land at Kanjhawala.
- c) The wood obtained on removal of trees shall be handed over by the DSIIDC to the officials concerned of MCD for its use on public crematoria in Delhi in consultation with the territorial DCF.
- d) Before shifting of wood from site of removal of trees, transportation permission for transportation of the said wood shall be obtained from Tree Officer (West)

By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Sanjiv Kumar) Secretary (Env. & Forests)

F.78/WFD/COT/13-14/1271-79

Dated: 26-05-14

Copy forwarded to:-

1. The Pr. Secretary to Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi, Raj Niwas, Delhi.

The Pr. Secretary to the Chief Minister Govt. of NCT of Delhi.

3. The Pr. Secretary (Law, Justice & L.A.), Govt. of NCT of Delhi Sectt., New Delhi.

4. The Addl. Pr. Chief Conservator of Forests, Govt. of NCT of Delhi, New Delhi.

- The Chief Project Manager, Delhi State Industrial and Infrastructure Development Corporation, T.C.
 Building, Wazirpur Industrial Area, Delhi-110052, with the direction to ensure that the wood, after removal of trees, should find its way for use in Public Crematoria in Delhi.
- The Project Director (H-1), Delhi State Industrial and Infrastructure Development Corporation, T.C. Building, Wazirpur Industrial Area, Delhi-110052.
- The Dy. Conservator of Forests (West), West Forest Division, Mandir lane, Birla Mandir, New Delhi-110060. For information and necessary action.
- 8. The Deputy Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi Sectt., New Delhi with Hindi version (two copies each) for publication in the Delhi Gazette Part IV Extraordinary and with the request to supply at least 10 copies of the Gazette to this Department for necessary action and record.

9. Guard file

(Sanjiv Kumar) Secretary (Env. & Forests) (दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग—चार में प्रकाशनार्थ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार पर्यावरण एवं वन विभाग छठा तल, 'सी' विंग, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.ईस्टेट, नई दिल्ली—02

एफ.78/डब्लू एफ डी/सी. ओ. टी /13-14//27/- 79

दिनॉक:-26-05-14

अधिसूचना

जबिक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र सरकार जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझती हैं,

अतः अब दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली राज्य औदयोगिक और ढांचागत विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) द्वारा शहरी ग्रामीण/ स्लम पुनर्वास के लिए फिर से कम लागत के आवास, बवाना—3 (पुठ खुर्द) दिल्ली में निर्माण हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 1.73 हैक्टेयर (लगभग) क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधों से इसके द्वारा छूट प्रदान करती है।

| क्रम सं. | स्थान | क्षेत्र का विस्तार (हैक्ट०) | हटाए जाने वाले वृक्षों की संख्या | अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या) |
|-------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. | शहरी ग्प्रमीण / स्लम पुनर्वास के लिए फिर से कम लागत के आवास, बवाना—3, दिल्ली | 1.73 (लगभग) | 2233 | 22330+293 (प्रतिरोपण) |
| | | कुल योग | 2233 | 22623 |

Histor 3nw

यह छूट निम्नलिखित शर्तो के अधीन है।

आवेदक को पाँच वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार 7,19,02,600/ रूपये (सात करोड़ उन्नीस लाख, दो हज़ार छह सौ रूपये मात्र) की राशि अग्निम रूप में जमा करवानी होगी। (4)

| ितथा 1 कुल वन प्रभाग में जमा कराई जाए | ो उप-वन संरक्षक (पश्चिमी) / वृक्ष अधिकारी |
|--|--|
| अन्य प्रशासनिक व्ययों त आकस्मिक व्यय सहित व राशि | 7,19,02,600 / - रूपये |
| लगाए जाने वाले पौधों की संख्या | 22623 |
| परियोजना संख्या | + |

उपमोगी संस्था द्वारा 13500 पेड (वृक्षारोपण) + 293 (प्रतिरोपण) पेडों की चार स्थालों पर जोकि नरेता, नरेला–बवाना रोड़, घोधा और पुथ खुर्द – 1 एंव 2, कनझावला आवास क्षेत्र दिल्ली में प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया जाएगा तथा उनका पांचल्कों के तक रखरखाव किया जाएगा और शेष वन विभाग द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र तालाब और कनझावला के पास जोकि डीएसआईआईडीसी द्वारा प्रदान किया गया है कि भूमि में 10000 पेंडों का प्रतिपूरक (यव) E

वृक्षारोपण किया जाएगा उप–वन संरक्षक के परामर्श से वृक्षों को काटे जाने के पश्चात प्राप्त लकड़ी राज्य औद्योगिक और ढांचागत विकास निगम द्वारा दिल्ली नगर निगम के संबंधित कर्मचारियों को सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौंपी जाए। वृक्ष काटे जाने के स्थल से लकड़ी ले जाने से पूर्व उक्त लकड़ियों की दुलाई के लिए वृक्ष अधिकारी उप–वन संरक्षक (पश्चिमी) से दुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(日)

THEY PLANT राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

(संजीव कुमार) सचिव (पर्यावरण वन एवं वन्य जीव)

रफ.78/डब्लू एफ डी/सी. ओ. टी /13-14/1,27!-79

41-50-98 दिनॉक:-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:—

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार, राजनिवास, दिल्ली।

2. प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

3. प्रधान सचिव, विधि एवं न्याय विमाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली।

4. अतिरिक्त प्रधान मुख्य संस्थक वन, दिल्ली सरकार, दिल्ली।

5. मुख्य परियोजना प्रबंधक, राज्य औदयोगिक और ढांचागत विकास निगम, टी. सी. मवन, वजीरपुर औधौगिक क्षेत्र,

6. मुख्य परियोजना प्रबंधक, राज्य औदयोगिक अरे ढांचागत विकास निगम, टी. सी. मवन, वजीरपुर औधौगिक क्षेत्र,

7. तिल्ली — 110052 को यह सुनिश्चित करने के अनुरांध सहित की वृक्षां की कटाई के बाद प्राप्त लकडी दिल्ली में

सार्वजनिक शवदाह गृह में प्रयोग हेतु उपलब्ध करवाएंगे । परियोजना निदेशक, (एच – 1), राज्य औदयोगिक और ढांचागत विकास निगम, टी. सी. भवन, वजीरपुर औधौगिक

क्षेत्र, दिल्ली – 110062 उप–वन संरक्षक (पश्चिमी), पश्चिमी वन विमाग, मंदिर लेन, बिरला मंदिर, दिल्ली– 110060 आवश्यक सूचनार्थ एंव 9

र्डप सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), दिल्ली सरकार को दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग–4 में प्रकाशनार्थ दो प्रतियां (प्रत्येक की)। इस अधिसूचना की कम से कम 10 प्रतियां सरकारी प्रयोग के लिए इस विभाग को आवश्यक कार्रवाई एवं अमिलेख के लिए मिजवाने का कष्ट करें। जांच हेत्

गार्ड फाईल।

मामिन भीता

(संजीव कुमार) सिचव (पर्यावरण वन एवं वन्य जीव)